<u>सूचना</u>

दि.वि.प्रा. भर्ती 2016 (विज्ञापन संख्या 03/2016/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक-दि.वि.प्रा.) के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रैस कोड/आवश्यक निर्देश:

अनुचित साधनों का प्रयोग एवं प्रतिरूपण परीक्षा प्रक्रिया में बाधक हो सकती है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण निष्पक्ष एवं सही तरीके से परीक्षा करवाने के लिए विशेष उपाय करने का प्रयास करेगा। तदनुसार, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए **सख्ती से अनुपालन किए जाने** हेतु निम्नलिखित विशेष अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

आशा की जाती है कि अभ्यर्थी परीक्षा की गरिमा बनाए रखने में अपना सहयोग देंगे और अपात्र अभ्यर्थियों के चयन को रोकने में सहयोग करेंगे।

(**i) प्रतिबंधित वस्तुएँ-** किताबें, पैन, पैंसिल अथवा स्टेशनरी-बॉक्स, पेपर चिट, मैगजीन, इलैक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हैडफोन, पैन/ बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलक्यूलेटर, स्टोरेज डिवाइसिज आदि), किसी भी प्रकार की घड़ी को परीक्षा लैब में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर केवल प्रवेश-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र लेकर जाने की अनुमति है।

परीक्षा लैब में रफ कार्य के लिए पैन/पैंसिल और कागज दिया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में ऊपर उल्लिखित प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं लानी हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी वस्तुएँ लाता है, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। दि.वि.प्रा. ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए न तो कोई व्यवस्था करेगा और न ही ज़िम्मेदार होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा लैब में इस प्रकार की कोई वस्तु पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और उनके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(**iv)** अभ्यर्थी आकर्षक वस्तुएँ, आवरण युक्त, धातुवाली ऐसी वस्तुएँ जिनमें अंगूठी, ब्रैसलेट, कुंडल, नथ, चेन, हार, पैंडेन्ट, बैज, ब्रॉच, हेयरपिन, हेयर-बैन्ड, पूरी बाजू वाले अथवा बड़े बटनों वाले कपड़े आदि शामिल हैं, न पहनें।

पूरी बाजू वाली कमीज अथवा टॉप्स की अनुमति नहीं है और केवल आधी बाजू वाले कपड़ों की ही अनुमति है। ऐसे जूते अथवा अन्य फुटवेयर जो पैरों की उंगलियों को ढकते हों, नहीं पहने जाने चाहिए। पैरों की उंगलियों की तरफ से खुले फुटवेयर और सैंडल अथवा चप्पलों को पहनने की अनुमति है। लंबे बालों वाले अभ्यर्थियों को अपने बालों को बाँधकर आना चाहिए, ताकि उनके कान न ढके हों। सिर को ढकने वाले स्कार्फ की अनुमति नहीं है।

(**v)** अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हुए पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को दि.वि.प्रा. में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. सत्यापन के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र के प्रिंट आउट के साथ कोई एक मूल (फोटोकॉपी अथवा स्कैन किया हुआ न हो), वैध (वैधता सीमा समाप्त न हुई हो) फॉटो पहचान-पत्र जैसे नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी), सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी आधार-कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ केंद्रीय सरकार, जिला प्रशासन नगर निगम निकाय द्वारा जारी क्रमांक संख्या सहित फोटो पहचान-पत्र और फोटोग्राफ सहित राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक आदि हो। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर सुपठित हों एवं फोटो आई. डी. कार्ड पर स्पष्ट दिखें और प्रवेश-पत्र पर अंकित नाम से मेल खाते हों। फोटो पहचान-पत्र क्षतिग्रस्त अथवा धुँधला न हो।
2. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह प्रवेश-पत्र केवल परीक्षा तिथि और परीक्षा की सत्रावधि तक के लिए वैध होगा, जैसा कि पृष्ठ संख्या 1 में विनिर्दिष्ट है।
3. **परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पृष्ठ सं. 1 पर दिए गए स्थान पर अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकाएँ। यह ई-प्रवेश पत्र परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान निरीक्षक द्वारा कक्ष में एकत्रित कर लिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि इस ई-प्रवेश पत्र की एक कॉपी ऑनलाइन परीक्षा परिणाम/ कुशलता परीक्षण/साक्षात्कार की घोषणा होने तक अपने पास रखें, चूंकि दि.वि.प्रा. सेवा चयन बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। दिए गए स्थान पर अपनी फोटो लगाएं/चिपकाएं, इसके बिना अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकते।**
4. किसी भी स्थिति में इस प्रवेश-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र (मूल) के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा विवाह से पश्चात्/पूर्व नाम में परिवर्तन की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल पहचान-पत्र के साथ दसवीं का मूल प्रमाण-पत्र अवश्य लाना होगा। अभ्यर्थी की पहचान का मिलान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को पराक्षा केंद्र के भीतर केवल प्रवेश-पत्र तथा पहचान-पत्र ही लाने की अनुमति है।

5. अभ्यर्थियों द्वारा ड़ाउनलोड और प्रिंट प्राप्त किए जाने हेतु ई-प्रवेश पत्र दि.वि.प्रा. की वेबसाइट (**www.dda.org.in**) पर परीक्षा की निर्धारित तिथि से 72 घण्टे पहले ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यह ई-प्रवेश पत्र कम्प्यूटर जनित होगा और डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
6. **अभ्यर्थियों को इस ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय पर उन्हें आबंटित परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचना होगा (डेढ घंटा पहले) ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ और अनिवार्य शारीरिक तलाशी का कार्य सहजता से किया जा सके। परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। देरी से आने संबंधी कोई अनुमति नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र की स्थिति और उस तक पहुँचने संबंधी जानकारी पता कर लें, ताकि वे परीक्षा के दिन केन्द्र पर समय पर पहुँच सकें।**
7. परीक्षा के सभी स्तरों तक अभ्यर्थियों का प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम हैं। और विनिर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं। अभ्यर्थी को मात्र ई-प्रवेश जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया है। यदि ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार, कम्प्यूटर अभियोग्यता परीक्षा अथवा कौशल परीक्षा (जैसा लागू हो) से पूर्व और पश्चात् कभी भी सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि वे अर्हता शर्तों में से किसी एक को पूरा नहीं करते हैं, तो दि.वि.प्रा. द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि उनके द्वारा किया गया कोई दावा गलत पाया जाता है, तो वे दि.वि.प्रा. द्वारा उचित कार्रवाई जो मान्य समझा जाएगा, के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

8. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्वयं को बायोमीट्रिक प्रणाली पर पंजीकृत कराना होगा, इसलिए बायोमीट्रिक डाटा लिए जाने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी, स्याही आदि जैसा कोई बाहरी पदार्थ न लगाएं।
9. एक बार पंजीकरण पटल पर बायोमीट्रिक उपस्थिति/फोटो लेने का कार्य हो जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा के समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष/भवन को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. शेष प्रश्न, केवल प्रश्न पत्र के भाषा परीक्षण भाग को छोडकर, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होंगे और विज्ञापन में दिए गए उल्लेख के अनुसार पाठ्यक्रम का समावेशन किया जाएगा।
11. ऐसे सभी प्रश्नों के मामले में जहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंकों के ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है तथा जहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित हैं ऐसे सभी मामलों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 अंक काट लिए जाएंगे।
12. रफ कार्य हेतु अभ्यर्थी को रफ शीट और पेन दिया जाएगा, जिन्हें परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षा निरीक्षक को लौटाना होगा, अभ्यर्थी को प्रत्येक रफ शीट पर स्पष्ट रूप से अपना नाम और अनुक्रमांक लिखना चाहिए।
13. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी. बी. टी.) के लिए, उनसे संबंधित स्थान पर टेस्ट/परीक्षा के आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व यूजर आई. डी. और पासवार्ड दिया जाएगा।
14. ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित टेस्ट/परीक्षा से परिचित होने हेतु, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे www.dda.org.in पर उपलब्ध डेमो (छद्म परीक्षा) देखें।
15. इस प्रवेश-पत्र पर अंकित विवरण की जाँच अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्यतः कर ली जानी चाहिए। यदि कोई प्रवेश पत्र धुंधला/बिना फोटो के एवं बिना हस्ताक्षर के साथ गलत छपा हो/त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसे मामले में अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासपोर्ट आकार की 02 फोटो और दस्तावेजी

साक्ष्य/प्रमाणपत्रों फोटो आई. डी. कार्ड इत्यादि के साथ व्यक्तिगत रूप से परीक्षा प्रारंभ होने से न्यूनतम एक दिन पूर्व (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच) दि.वि.प्रा. कार्यालय, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के नागरिक सुविधा केन्द्र में आ कर मिलें, ताकि तद्नुसार आवश्यक सुधार किया जा सके। इस कार्य हेतु डी.डी.ए. स्थित नागरिक सुविधा केंद्र _____________ से कार्य करना प्रारंभ करेगा।

16. परीक्षा में प्रत्येक घण्टे पर अतिरिक्त 20 मिनट के समय की अनुमति केवल पी.डब्ल्यू.डी. (दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थियों को ही मिलेगी, जिन्होनें स्क्राइब द्वारा इस सुविधा हेतु विकल्प दिया है जैसा कि ऑनलाइन आवेदनों में उल्लेख किया गया है। ऐसे वी.एच/ ओ.एच अभ्यर्थी परीक्षा के दिन सत्यापन हेतु परीक्षा केन्द्र पर विधिवत् रूप से विनिर्धारित प्रोफोर्मा भरकर लाना होगा और अपने साथ अपने स्क्राइब (सी.बी.टी. हेतु लेखक) को लाना होगा। "स्क्राइब की घोषणा (लेखक) एवं वी.एच/ओ.एच. अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा" और सम्बन्धित सरकारी दिशानिर्देशों का एक विनिर्धारित प्रोफोर्मा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

17. **अभ्यर्थी आकर्षक वस्तुएँ, आवरण युक्त, धातुवाली ऐसी वस्तुएँ, जिनमें वॉलेट, अंगूठी, ब्रैसलेट, कुंडल, नथ, चेन, हार, पैंडेन्ट, बैज, ब्रॉच, हेयरपिन, हेयर-बैन्ड, पूरी बाजू वाले अथवा बड़े बटनों वाले कपड़े आदि शामिल हैं, न पहनें।**

पूरी बाजू वाली कमीज अथवा टॉप्स की अनुमति नहीं है और केवल आधी बाजू वाले कपड़ों की ही अनुमति है। ऐसे जूते अथवा अन्य फुटवेयर जो पैरों की उंगलियों को ढकते हों, नहीं पहने जाने चाहिए। पैरों की उंगलियों की तरफ से खुले फुटवेयर और सैंडल अथवा चप्पलों को पहनने की अनुमति है। लंबे बालों वाले अभ्यर्थियों को अपने बालों को बाँधकर आना चाहिए, ताकि उनके कान न ढके हों। सिर को ढकने वाले स्कार्फ की अनुमति नहीं है।

18.अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हुए पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को दि.वि.प्रा. में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

19.**अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र/परिसर में मोबाइल/सेलुलर फोन, पेन, ईयर फोन, पुस्तकें, नोट्स, संगणना की सुविधा वाली इलेक्ट्रोनिक घड़ियाँ, पेजर अथवा अन्य किसी प्रकार का संप्रेषण यन्त्र, बैग इत्यादि अपने साथ न लाएं।** इन दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षा से बेन किया जाना भी शामिल होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का मूल्यवान/कीमती सामान न लाएं, चूंकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में, किसी भी प्रकार की हानि के लिए दि.वि.प्रा. उत्तरदायी नहीं होगा।

20.परीक्षा द्वार पर और परीक्षा के दौरान, तलाशी ली जाएगी। परीक्षा में, यदि कोई अभ्यर्थी **(i)** परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा **(ii)** वेश बदल कर अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अथवा **(iii)** परीक्षा भवन में अनुचित व्यवहार अथवा **(iv)** चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार के साधन का सहारा लेने अथवा **(v)** अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी ऐसे अनुचित असाधारण और अनुचित साधन का सहारा लेने का दोषी पाया जाता है तो ऐसा अभ्यर्थी आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त (क) उस परीक्षा जिसका/जिसकी वह अभ्यर्थी है के लिए अयोग्य होने (ख) स्थायी रूप से अथवा विशिष्ट अवधि हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा भर्ती से विवर्जित किए जाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।

21.अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न (प्रश्नों) और उसके विकल्पों/उत्तर से सम्बन्धित पूछताछ/आपत्ति का समाधान उस तारीख से 05 कार्य दिवसों के भीतर केवल 'आपत्ति लिंक' द्वारा किया जाएगा, जब परीक्षा के पश्चात् सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से उक्त लिंक की जानकारी दे दी जाएगी और संबंधित जानकारी दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा और पी.एस.टी.सी.एल. परिणाम की तैयारी संबंधी प्रक्रिया शुरू कर देगा।

22.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो यात्रा भत्ते के पात्र हैं से अनुरोध किया जाता है कि वे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.org.in** से यात्रा भत्ता (टी.ए.) प्रपत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त कर लें। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के पश्चात् यह टी.ए. प्रपत्र भली-भाँति भरकर जाति प्रमाणपत्र, यात्रा टिकटों और निवास प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ परीक्षा निरीक्षक को सौंपना होगा (सत्यापन हेतु मांगे जाने पर मूल टिकट प्रस्तुत की जानी चाहिए)। अभ्यर्थियों को स्वयं आवास संबंधी व्यवस्था करनी होगी और दि.वि.प्रा. इसकी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।

23.अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि इस ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध कम्प्यूटर आधारित टेस्ट/परीक्षा के लिए "ऑनलाइन एक्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन्स" को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

24.अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अद्यतन जानकारी हेतु दि.वि.प्रा. की वेबसाइट देखते रहें।